कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2021–22 दिनांक :– 22.07.21

विज्ञप्ति

गैर सरकारी क्षेत्र मे संचालित विद्यालयों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की क्रमोन्नति, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय शुरू करने, भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम आदि की स्वीकृति हेतु इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2021–22 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प09 (6) शिक्षा–5/मान्यता बैठक/2021–22 जयपुर दिनांक 20.07.2021 के क्रम में ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं :–

क्रम सं0	विवरण	निर्धारित तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की वेबसाईट, प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) में विद्यालय लॉगइन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर, ऑनलाइन अपलोड कर, आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	दिनांक 26.07.2021 से 26.08.2021 तक
2.	विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन की कार्यवाहीं	आवेदन लॉक किये जाने के 05 दिवस के भीतर
3.	विद्यालय द्वारा वांछित संशोधन पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पूर्ण कर ई–ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में ऑटो जनरेटेड निरीक्षण दल का गठन	संस्था द्वारा आवेदन लॉक किये जाने के 05 दिवस के पश्चात्

निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि ई–ग्रास के माध्यम से जमा करानी होगी। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की क्रमोन्नति हेतु तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों मे अतिरिक्त संकाय/विषय, भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम आदि की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आवेदन शुल्क एवं संबंधित निर्देशों की विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय एवं पीएसपी पोर्टल www.rajpsp.nic.in तथा विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर।